9. संविधान का संशोधन

हम भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान के उलट लचीलापन एवं कठोरपन दोनों का दर्शन करते है। संविधान का वह भाग जो संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं करता उसका संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है तथा जो भाग संघीय ढांचे को प्रभावित करता है उसका संशोधन विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति से किया जाता है। कुछ संशोधन केवल विशेष बहुमत से किये जा सकते है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति तथा प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

संशोधन की प्रक्रिया

- राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर मंजूरी देने के लिए बाध्य है।
- विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।
- संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम बन जायेगा।
- संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है।
- प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग-अलग पारित कराना अनिवार्य है।
- यदि विधेयक संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला है तो उसे संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए।
- संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
- संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है।

संविधान संशोधन के प्रकार

- संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन।
- संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन।
- संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन।

संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन

संविधान में काफी संख्या में साधारण बहुमत से संशोधन की व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल हैं-

- नए राज्यों का प्रवेश या गठन।
- नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन।
- राज्य विधानपरिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति।
- दूसरी अनुसूची–सुविधाएं, भत्ते आदि जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए हैं।
- संसद में गणपूर्ति।
- नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति।
- निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण।
- संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते।
- संसद, इसके सदस्यों और समितियों को सुविधाएं।
- उच्चतम न्यायालयों में सहायक न्यायाधीशों की संख्या।

संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन

संविधान में बहुमत की व्यवस्था जिसमें संसद में विशेष बहुमत की बात हो, का अभिप्राय है वह बहुमत (50 प्रतिशत से अधिक) जिसमें उपस्थिति एवं मतदान के आधार पर प्रत्येक सदन के दो तिहाई सदस्यों का समर्थन हो। 'कुल सदस्यों' का मतलब है सदन की सदस्य संख्या जिसमें रिक्त एवं अनुपस्थित भी शामिल है। इस तरह से संशोधन व्यवस्था में शामिल है-

- राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत।
- मूल अधिकार।
- वह सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं हैं।

संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन

नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान की विशेषताओं को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्यों के विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो।

इस तरह से निम्नलिखित व्यवस्थाओं को संशोधित किया जा सकता है।

- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
- केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार।
- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय।
- सातवीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय।
- केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन।
- राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया।